



Presented on : 26-07-2010
Registered on : 26-07-2010
Decided on : 25-03-2021
Duration : 10 years, 7 month, 27 days

न्यायालय अपर सिविल जज (जू•डि•)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं-2 , शिकोहाबाद, फ़िरोज़ाबाद
उपस्थिति - प्रज्ञा पाराशर (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)
दांडिक वाद संख्या - 3481/2010

उत्तर प्रदेश की ओर से पुलिस थाना एका, फ़िरोज़ाबाद

.....अभियोजन

बनाम

- 1 किशन गोपाल पुत्र श्री जुगेंद्रपाल
 - 2- होरीलाल पुत्र श्री मुंशीलाल
 - 3- जयपाल पुत्र श्री मुंशीलाल
 - 4-जुगेंद्र पुत्र श्री आशा राम (फौत दौरान -ए -वाद)
- समस्त निवासीगण ग्राम देवा थाना एका, फ़िरोज़ाबाद

.....अभियुक्तगण

अपराध संख्या - 153/2000

धारा - 323,324,504 भारतीय दंड संहिता

थाना - एका

जिला - फ़िरोज़ाबाद

निर्णय

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण किशनगोपाल, होरीलाल और जयपाल का विचारण अपराध संख्या 153/2000 अंतर्गत धारा 323,324,504 भारतीय दंड संहिता के मामले में थाना एका, फ़िरोज़ाबाद द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किए जाने पर हो रहा है।



संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सियाराम दिनांक 26-8-2000 को दिन के करीब 10 बजे जब अपने खेत पर काम कर रहा था तो अभियुक्तगण किशनगोपाल, होरीलाल, जुगेंद्रपाल और जयपाल वादी के पास आए और कहने लगे की खेत को क्यों जोत रहे हो? यह खेत तो हमारा है। वादी ने कहा कि उसने इस खेत का बैनामा उमेशचंद्र से अपने नाम कर लिया है इसलिए खेत को जोत रहा है। इसी बात पर अभियुक्तगण ने लाठी- डंडों और लात -घूंसो से मार पीट की और जयपाल ने फरसे से उसके ऊपर वार किया जो उसके बाए हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली में लगा जिससे उंगली जखमी हो गई। पास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने उसे बचाया।

वादी ने उक्त घटना की जुबानी सूचना इसी दिन थाने में दी जिसके आधार पर एन.सी.आर संख्या 61/2000 अंतर्गत धारा 323,504 भारतीय दंड संहिता थाने पर दर्ज की गई।

वादी का चिकित्सीय मुआयना करना गया जिसकी आख्या के साथ वादी ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते तरमीम करने एन.सी.आर संख्या 61/2000 श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय, जसराना को भेजा।

चिकित्सीय आख्या के आधार पर उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 153/2000 अंतर्गत धारा 323,324,504 भारतीय दंड संहिता में तरमीम किया गया।

विवेचना के उपरांत साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण किशनगोपाल, होरीलाल, जुगेंद्रपाल और जयपाल के विरुद्ध अपराध संख्या 153/2000 अंतर्गत धारा 323,324,504 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण किशनगोपाल, होरीलाल, जुगेंद्रपाल और जयपाल के विरुद्ध अपराध संख्या 153/2000 अंतर्गत धारा 323,324,504 भारतीय दंड संहिता के अपराध का संज्ञान लिया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आए और अपनी जमानतें कराईं। दौरान वाद अभियुक्त जुगेंद्र पाल की मृत्यु हो गई। दिनांक 29-8-2008 को अभियुक्त जुगेंद्र पाल के विरुद्ध वाद की कार्यवाही शमित की गई।

दिनांक 8-2-2012 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323,324,504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया जिसे उन्हें पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी संख्या 1 के रूप में वादी मुकदमा सियाराम को परीक्षित कराया गया है। अन्य साक्षियों को उन्मोचित कराने के लिए वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अग्रसारित किया गया। शेष गवाहों को उन्मोचित किया गया।

इसके पश्चात पत्रावली धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए नियत की गई। अभियुक्तगण ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में कहा कि यह मुकदमा झूठा है। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी संख्या 1 के द्वारा लगाए गए आरोप को

झूठ कहा है। और कहा की उपरोक्त मुकदमा उनके विरुद्ध रंजिश के कारण चला है तथा सफाई साक्ष्य में कोई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

इसके पश्चात पत्रावली बहस के लिए नियत की गई।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क देते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के साथ लाठी डंडे और फरसे से मारपीट की है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को दंडित किए जाने की याचना की गई है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा कि वादी मुकदमा ने अपनी गवाही में घटना से इंकार किया है। अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

मेरे द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी और अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया। न्यायालय के सामने अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा धारा 323, 324, 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध कारित किया गया है?

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या 1 सियाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना करीब 20 साल पहले की है। खेत के विवाद को लेकर अभियुक्तगण होरीलाल, किशनगोपाल और जयगोपाल ने उसके साथ लाठी डंडे और फरसे से मार पीट की थी जिससे उसके चोटें आई थी। गंभीर चोटों के कारण मुकदमा तरमीम हो गया था। चोटों का डाक्टरी मुआयना भी कराया गया था। मारने से मना करने पर उसे गाली भी दी थी। घटना की सूचना अभियोजन साक्षी संख्या 1 सियाराम ने श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय, जसराना को लिखित रूप में दी थी जो इस पत्रावली पर उपलब्ध है। इस पर अंकित हस्ताक्षर की शिनाख्त अभियोजन साक्षी संख्या 1 सियाराम ने की और इस पर प्रदर्शक 1 डाला गया।

इस साक्षी की प्रति परीक्षा में इसके द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगण होरीलाल, किशनगोपाल और जयपाल ने उसके साथ कोई मार पीट नहीं की थी। खेत में ट्रैक्टर से गिर जाने की वजह से उसके हाथ में चोट आई थी जिसका डाक्टरी मुआयना हुआ था। उपरोक्त अभियुक्तगण ने कोई गाली गलौज नहीं की थी, न ही चोट पहुंचाई थी। उपरोक्त अभियुक्तगण उसके पड़ोसी हैं और राजी खुशी और प्रेम से रह रहे हैं।

इस साक्षी का सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रति परीक्षण किया गया तो उसने कहा की दरोगा जी ने घटना के सम्बन्ध में उसका कोई बयान नहीं लिया। उन्होंने बयान कैसे लिखा, यह उसे नहीं पता। इसके साथ ही उसने न्यायालय में कहा की इस मुकदमे के गवाह राम सिंह और डोरीलाल की मृत्यु हो चुकी है। यह कहना गलत है कि वह समझौता हो जाने के कारण आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अनुसार,

जो भी व्यक्ति (धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा) जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से साधारण चोट पहुंचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक

बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अनुसार, धारा 334 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर जो कोई भी, घोंपने, गोली चलाने या काटने के किसी भी साधन के माध्यम से या किसी अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण से स्वेच्छापूर्वक ऐसी चोट पहुंचाए, जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या फिर आग के माध्यम से या किसी भी गरम पदार्थ या विष या संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ या किसी भी पदार्थ के माध्यम से जिसका श्वास में जाना, या निगलना, या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए घातक है या किसी जानवर के माध्यम से चोट पहुंचाता है, तो उसे तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास से या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 504 भारतीय दंड संहिता के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित / गाली गलौज करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

इस मामले में अभियोजन साक्षी संख्या 1 सियाराम ही वादी और चोटिल है। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा उसे लाठी डंडे और फरसे से मारा गया। लेकिन उसने अपनी प्रति परीक्षा में इस चीज से इंकार किया और कहा कि उसके चोटें ट्रैक्टर पर गिरने से आई हैं।

पत्रावली पर चोटिल सियाराम की चिकित्सीय आख्या भी उपलब्ध है लेकिन अभियोजन को तरफ से उसे साबित नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर चोटिल सियाराम ने अपनी परीक्षा में स्वयं यह कहा है कि उसके हाथ में चोट ट्रैक्टर से गिरने से आई थी। अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि अभियुक्तगण ने उसके साथ गाली गलौज की लेकिन अपनी प्रति परीक्षा में उसने अभियुक्तगण द्वारा किसी तरह की गाली गलौज होने से इंकार किया है।

दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है। लेकिन अभियोजन साक्षी का अपनी परीक्षा में कथन कि वह और अभियुक्तगण पड़ोसी हैं और राजी खुशी रह रहे हैं, घटना की संदेहास्पदता बढ़ाता है।

आनंद रामचंद्र चोगले बनाम सिदाराई लक्ष्मण चोगले, (दांडिक अपील संख्या 1006/2010 और 1007/2010) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि "अभियोजन पर सभी उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने के लिए बोझ निहित है। उसी के विपरीत, अभियुक्त को केवल अभियोजन मामले और इसके बचाव की संभावना के बारे में संदेह पैदा करना है। अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के विपरीत, सभी उचित संदेह से परे अपने बचाव को स्थापित करने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभियुक्त एक बचाव लेता है, जो अनुचित नहीं है और

संभव प्रतीत होता है और ऐसे बचाव के समर्थन में सामग्री है तो अभियुक्त को आगे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। संदेह का लाभ तब तक दिया जाना चाहिए जब तक अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम न हो।"


लेकिन प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा घटना का कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे घटना साबित हो सके। उपरोक्त तथ्यों के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है की अभियोजन अपना मामला साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण किशनगोपाल, होरीलाल और जयपाल धारा 323 और 324 और 504 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण किशनगोपाल, होरीलाल और जयपाल को अपराध संख्या - 153/2000 अंतर्गत धारा- 323,324,504 भारतीय दंड संहिता, थाना - एका, फिरोजाबाद के मामले में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा 25,000/- रुपए के एक बंधपत्र और इतनी ही राशि का एक प्रतिभू दाखिल किए जाएं जो 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। इसके पश्चात स्वतः ही निष्प्रभावी समझे जायेंगे।


दिनांक 25-03-2021


(प्रज्ञा पाराशर)

अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं-2 , शिकोहाबाद, फ़िरोज़ाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

दिनांक 25-03-2021


(प्रज्ञा पाराशर)

अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं-2 , शिकोहाबाद, फ़िरोज़ाबाद।